

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कोर्ट केम्प उण्डखा

क्रमांक रीडर/2023/
प्रार्थीनी

3174
बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 08/06/23

1 वरजूदेवी पत्नी पूनमाराम
जाति जाट निवासी उण्डखा
तहसील व जिला बाड़मेर।


1 सोनाराम पुत्र मेराजराम जाति जाट निवासी कुर्जा बाड़मेर
गादान 2 धन्नाराम पुत्र मेराजराम जाति जाट निवासी
मुरटालागाला 3 नानगराम 4 अचलाराम पिसरान सानाराम जाति
जाट निवासी कुर्जा बाड़मेर गादान 5 मोटाराम पुत्र भराराम जाति
जाट निवासी कुर्जा हाल निवासी मुरटाला गाला 6 डाराराम पुत्र
डुंगराराम जाति मेगवाल निवासी रुपाणी मेगवालों की द्वारा
उण्डखा 7 राकेश पुत्र बाबुलाल जाति जैन निवासी ढाणी बाजार
8 लीलसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी उण्डखा 10
मदनसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी इन्द्रा कॉलाणी
बाड़मेर 11 गणपतसिंह पुत्र जवरसिंह जाति राजपूत निवासी
आदर्श उण्डखा 12 पीराराम पुत्र भीयाराम जाति जाट निवासी
बाकाणा कुआ, गरल तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 98/2023

दिनांक - 19/05/2023

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भोमासर पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा
संख्या 552/231 रकबा 7.8833 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि
निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है जो
प्रार्थीनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर
दिनांक - 08/06/23

क्रमांक :- रीडर/2023/

3175-78

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भोजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मध्य रेकॉर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. वरजूदेवी पत्नी पूनमाराम जाति जाट निवासी उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी सोनाराम पुत्र मेराजराम वगैराह जाति जाट निवासी कुर्जा बाड़मेर गादान तहसील व जिला
बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर